डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 नवम्बर 2001—अग्रहायण 8, शक 1923

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-7-1/15/सह./2001.—रायपुर यत: ग्रामीण क्षेत्रों में खरीफ फसल के व्ययन के पूर्व, रबी फसल की बुआई का कार्य व्यापक रूप में जारी रहने के कारण प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कृषक सदस्यों के लिए चुनाव में भाग ले पाना कठिन होगा. अतएव छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा-49 की उप-धारा (7 क, क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त सोसायटियों की समितियों की अपनी-अपनी अवधि को उनके अवसान होने की तारीख से चार माह के लिए और बढ़ाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, विशेष सचिव.

रायपुर दिनांक 29 नवम्बर 2001

क्रमांक एफ-7-1/15/सह./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-1/15/सह./2001 दिनांक 29-11-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, विशेष सचिव.

Raipur, the 29th November 2001

NOTIFICATION

No. F-7-1/15/Co.-op./2001.—Whereas it would be difficult for former member of primary agriculture credit Co-operative Socities to participate in the election, conducted widely in rural areas before disposal of Kharif crop, due to continuation of sowing Rabi crops. Now therefore in exercise of the powers conferred by Sub-section (7-AA) of Section 49 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the state Government hereby, further extend the term of committees of aforesaid societies for the period of four months from the date of expiry of the term of their respective committees.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
CHANDRAHAS BEHAR, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर.

पंजी. क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264-अ] रायपुर, गुरुवार , दिनांक 29 नवम्बर 2001—अग्रहायण 8, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-2/2001/वा.क./पांच (73).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 326/641/वा.क./पांच/2001 दिनांक 1-3-2001 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना में शब्दों "30 नवम्बर 2001" के स्थान पर शब्दों "31 जनवरी 2002" को प्रतिस्थापित किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2001

क्रमांक एफ-10-2/2001/वा.क./पांच (73).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-2/2001/वा.क./पांच (73), दिनांक 29-11-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 29th November 2001

NOTIFICATION

No.F-10-2/2001/CT/V (73).—In exercise of powers conferred by Sub-section (9) of Section 27 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following amendment in this departmental Notification No. 326/641/CT/V/2001 dated 1-3-2001 namely :—

AMENDMENT

In the Notification for words "30th November 2001", words "31st January 2002" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISHRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.